न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
160/दावा/2013	30.07.2013	04.05.2018

केसरीलाल आयु 65 वर्ष आ0 श्री बांका जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना जिला बून्दी।

– वादी

बनाम

1. महावीर आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना जिला बून्दी।
2. पप्पू आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना जिला बून्दी।
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा आदेश 7 नियम 1 जा.दी.

उपस्थित :– वादी की ओर से श्री नवैद कैसर एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 04.05.2018

पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय पेश हुई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा सं. 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 1172 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम मेहराणा जिला बून्दी में स्थित है। उक्त आराजी में वादी 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी वादी को पिता स्वर्गीय बांका से प्राप्त हुई है। बांका जी के 2 पुत्र रामकिशन व केसरीलाल है। रामकिशन का देहांत हो गया है। उनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 व 2 है। विवादित आराजी का कौटुम्बिक समझौते के अनुसार बंटवारा हो गया था। बांका जी के जीवनकाल में ही दोनों पुत्रों के मध्य वाद के चरण 1 में वर्णित आराजी का कौटुम्बिक समझौते से बंटवारा हो गया था। आराजी खसरा सं. पुराने नं. 213 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा रामकिशन के हिस्से में आयी थी, रामकिशन को घरेलु खर्च हेतु रकम की आवश्यकता होने से रामकिशन ने अपने हिस्से में आयी भूमि में से 6 बीघा भूमि का बेचान दाखा बाई पत्नी रामचन्द्र को कर विक्रय का प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। चूंकि उस समय स्वजस्व रेकार्ड में भूमि बांका जी के नाम दर्ज थी, इसलिए विक्रय पत्र बांका जी के द्वारा लिखा

Scanned by CamScanner

था था, लेकिन वास्तविक रूप से बैचान रामकिशन के द्वारा किया गया था। 6 बीघा भूमि बैचान के पश्चात् रामकिशन वर्तमान खसरा नं. 1172 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काबिज रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज है। स्वर्गीय बांका के जीवनकाल में हुए कौटुम्बिक समझौते के अनुसार वादी व स्वर्गीय रामकिशन व रामकिशन की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने हिस्से में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। रामकिशन ने अपने हिस्से में आयी भूमि का बैचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था इसलिए रामकिशन ने जीवनपर्यन्त वादी के हिस्से में आयी भूमि को लेने की चेष्ठा नहीं की। वर्तमान समय में भूमि की कीमतें ज्यादा होने से प्रतिवादी सं. 1 व 2 समस्त भूमि पर अपना 1/2 हिस्सा अंकित होने से प्रविष्ठी का नाजायज फायदा उठाकर भूमि का बैचान करना चाहते हैं व खसरा सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दिनांक 10.07.2013 को खेत पर आकर धमकी दी कि जमीन पर हमारा 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है, हम हमारे पिता के द्वारा किये गये बंटवारे को नहीं मानते हैं और तुम्हारे द्वारा बोयी गयी सोयाबीन की फसल हांककर खेत पर कब्जा करेंगे व जमीन का बैचान करेंगे। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र के चरण 1 में वर्णित खसरा सं. 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम मेहराणा जिला बून्दी स्थित भूमि को पूर्व में हुए कौटुम्बिक समझौते के अनुसार वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पृथक से दर्ज करावे एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे। न ही उक्त भूमि व उसके किसी भू–भाग को रहन बैय करे। वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के चरण 1 में वर्णित खसरा सं. 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम मेहराणा जिला बून्दी स्थित भूमि का खातेदार पूर्व में हुए कौटुम्बिक समझौते के अनुसार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसी अनुरूप अमल दरामद किये जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे, न ही उक्त भूमि व उसके किसी भू–भाग को रहन बैय करे।

उक्तानुसार वाद पत्र प्राप्त होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राजस्थान राज्य की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा जवाब दावा पेश किया और अंकित किया कि सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद का निस्तारण किया जाना उचित होगा। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 5.03.2014 को श्री जगदीश गुप्ता एडवोकेट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं जबाव दावा हेतु कई अवसर देने के पश्चात् दिनांक 7.04.2016 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 का जवाब का अवसर बंद किया गया एवं दिनांक 30.08.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य बतौर गवाह स्वयं का शपथ पत्र तथा रामनारायण, मोतीलाल, कन्हैयालाल, रामभरोस, माधोलाल, बद्रीलाल, बजरंगलाल के शपथ पत्र पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी वाके ग्राम मेहराणा खाता सं. 251(प्रदर्श–1) व विक्रय पत्र की प्रति (प्रदर्श–2) पेश की गई।

Scanned by CamScanner

बहस वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी प्रार्थनानुसार निर्णित किये जाने का अनुरोध किया। बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की गईः—

RRD	2000	Page 427
AIR	2004 SC	Page 4130

विद्वान अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, मनन कर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। वादी द्वारा जो कथन वाद पत्र में अंकित किये गये हैं उनके समर्थन में वादी द्वारा स्वयं के साथ अन्य गवाहान रामनारायण, मोतीलाल, कन्हैयालाल, रामभरोस, माधोलाल, बद्रीलाल, बजरंगलाल के शपथ पत्र पेश किये। वादी व गवाहन के शपथपत्र के अवलोकन से वादी व उसके भाई रामकिशन के मध्य पिता बांका के जीवन काल में ही कौटुम्बिक समझौता होना स्पष्ट होता है और रामकिशन द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि 6 बीघा का बैचान श्रीमती दाखा को कर दिया था। चूंकि प्रतिवादी द्वारा वाद में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही गवाहों से जिरह की है तथा प्रतिवादीगण् की ओर से वादी के कथनों के विपरीत कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए वादी व वादी के गवाहों के द्वारा अंकित किये गये तथ्यों को असत्य माना जाने का कोई कारण पत्रावली में मौजूद नहीं है। वादी कौटुम्बिक समझौते के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसके बाबत गवाहों ने अपने शपथ पत्र में भी अंकन किया है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों में पारिवारिक मौखिक समझौते को मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा व मा. न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी मान्य किया गया है और नजीर में अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य सही व न्यायोचित निर्णय हेतु पक्षकारों के मध्य हुए अविभाजित परिवार के मौखिक बंटवारे को मान्यता देनी चाहिए। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण में चस्पा होती हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मेहराणा जिला बून्दी स्थित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का आराजी खसरा संख्या 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मेहराणा से नाम विलोपित कर वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जावे। आराजी खसरा संख्या 1172 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मेहराणा से वादी केसरीलाल का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा संख्या 659 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 1051 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 1223 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मेहराणा में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.5.18

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा, जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner